

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.10(18)नविवि/3/2011

जयपुर, दिनांक :


22 FEB-2022

संशोधित अधिसूचना

विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 18.02.2022 के द्वारा राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 7 के अन्तर्गत बड़ी सादड़ी नगरीय क्षेत्र के अनुमोदित मास्टर प्लान-2031 में प्रस्तावित संशोधनों को अनुमोदित किया गया है। जारी अधिसूचना में सहवन से प्रस्तावित संशोधनों हेतु राजस्थान नगर सुधार अधिनियम-1959 की धारा 5(1) के अन्तर्गत आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु जारी अधिसूचना की दिनांक 20.07.2021 के स्थान पर दिनांक 26.04.2021 टंकित हो गई है।

अतः उपरोक्त अधिसूचना में दिनांक 26.04.2021 के स्थान पर 20.07.2021 पढ़ी जावें।

राज्यपाल की आज्ञा से



(नवनीत कुमार)

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. उप नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर।
8. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, बड़ी सादड़ी।
9. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय